Meticulous Investigation & Prosecution

BAGHPAT POLICE

"ऑपरेशन कन्विक्शन" के क्रम में नाबालिग लडकी के साथ छेडछाड व मारपीट करने के आरोपी गुफरान को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुआ 02 वर्ष का कारावास व 07 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा-

अवगत कराना है कि वर्ष 2017 में अभियुक्त गुफरान पुत्र बाबूखान निवासी कस्बा टटीरी थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत द्वारा नाबालिग लडकी के साथ छेडछाड व मारपीट करने की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 153/2017 धारा 354/354डी/323/504/506 भादवि व 11/12 पोक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था । इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी, जिसके परिणामस्वरुप दिनांक 21.01.2025 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज कोर्ट-05 जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त गुफरान को दोषी पाते हुए 02 वर्ष के कारावास व 07 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।

श्री नरेंद्र सिंह पंवार एडीजीसी
जनपद बागपत

आरक्षी हरदीप कुमार कोर्ट
पैरोकार थाना कोतवाली बागपत

@baghpatpolice baghpatpolice Baghpat Police

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना कोतवाली बागपत दिनाँक 21.01.2025

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 977/24 धारा 191(2)/191(3)/190/333/131/115(2)/352/351(2)/117(2)/109 बीएनएस में वांछित 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 26.11.24 को थाना कोतवाली बागपत पर वादी नरेन्द्र पुत्र प्रेम सिंह निवासी ग्राम सन्तोषपुर थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तों 1.राहुल पुत्र जिराज, 2.अमित पुत्र जयपाल, 3.विनय उर्फ बिच्छू पुत्र सौराज, 4.रविन्द्र पुत्र बाबू, 5.प्रिंस पुत्र बलराज व 6.विपिन उर्फ गोधू पुत्र इन्द्रराज समस्त निवासीगण ग्राम सन्तोषपुर थाना कोतवाली बगापत जनपद बागपत द्वारा एकजुट होकर हाथो मे लाठी-डंडे, सरिया व लोहे के पाइप लेकर वादी के घर में घुसकर वादी व वादी के परिजनों के साथ गाली-गलौच करते हुए मारपीट की जिससे वादी की माता का हाथ टूट गया तथा बिजेन्द्र के सिर में गम्भीर चोट लग गई। इस सम्बन्ध में प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 977/24 धारा 191(2)/191(3)/190/333/131/115(2)/352/351(2)/ 117(2)/109 बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के म0अ0सं0 977/24 धारा 191(2)/191(3)/190/333/131/115(2)/352/351(2) /117(2)/109 बीएनएस में वांछित नामजद 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1-विपिन उर्फ गोधू पुत्र इन्द्राज निवासी ग्राम संतोषपुर थाना बागपत जनपद बागपत।

2-विनय उर्फ बिच्छू पुत्र सौराज निवासी ग्राम संतोषपुर थाना बागपत जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री वृक्षपाल सिंह थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

2-उ0नि0 श्री नकुल राठी थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

3-है0का0 168 गौरीशंकर थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बिनौली **दिनाँक 21.01.2025**

थाना बिनौली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 21/25 धारा 115(2)/121(1)/121(2)/132/109(1)/352/351(2)/324(4) बीएनएस से सम्बन्धित मारपीट करने वाले 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से 01 अवैध तमंचा 12 बोर बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 21.01.25 को थाना बिनौली पर वादी आरक्षी चक्रपाल थाना बिनौली ने लिखित सूचना दी गई कि वादी होमगार्ड के साथ ग्राम सिरसली में नहर की पटरी से अपनी बाइक से जा रहा था तभी सामने से आ रही कार द्वारा उसकी बाईक में टक्कर मारी गई तथा कार सवार 02 अभियुक्तों 1.नितिन पुत्र रणवीर व 2.शैलेष पुत्र गिरीशपाल निवासीगण सिरसली थाना बिनौली जनपद बागपत द्वारा वादी के साथ मारपीट की गई जिससे वादी गम्भीर रूप से घायल हो गया । इस सम्बन्ध में प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना बिनौली पर मु0अ0सं0 21/25 धारा 115(2)/121(1)/121(2)/ 132/109(1)/352/351(2)/324(4) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 21/25 धारा 115(2)/121(1)/121(2)/132/109(1)/352/351(2)/324(4) बीएनएस में वांछित नामजद 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से 01 अवैध तमंचा 12 बोर बरामद हुआ है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1-नितिन पुत्र रणवीर निवासी सिरसली थाना बिनौली जनपद बागपत।

2- शैलेष पुत्र गिरीशपाल निवासी सिरसली थाना बिनौली जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- 01 अवैध तमंचा 12 बोर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री विकुल कुमार थाना बिनौली जनपद बागपत।

2-है0का0 399 वीरपाल थाना बिनौली जनपद बागपत।

3-है0का0 573 बालकिशन थाना बिनौली जनपद बागपत।

4-का0 718 अनित कुमार थाना बिनौली जनपद बागपत।

5-का0 303 ऋषभ कुमार थाना बिनौली जनपद बागपत।